## वार्षिक कार्यक्रम 2024-2025

मंत्रालयों/ विभागों और उनके संबंद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों एवं केंद्रीय सरकार के निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्यन हेतु 2024-2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य

		के कार्यान्यन हेतु 2024-2025 के लिए निर्धारित लक्ष्य	
क्रम सं		कार्य विवरण	लक्ष्य
1	हिंदी में मूल पत्राचार (तार,	"ग" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को	55% 55%
	बेतार, टेलेक्स, फैक्स, आरेख	"ग" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को	55%
	आदि सहित)	"ग" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को	3370
		''ग'' क्षेत्र से ''क'' व ''ख'' क्षेत्र के	85%
	*	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना		100%
3	हिंदी में टिप्पण		30%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण		30%
5	हिंदी टंकक और आशुलिपिकों की भर्ती		40%
6	हिंदी में डिक्टेशन / की बोर्ड पर सीधे टंकण		30%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)		100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैया	र करना	100%
9	जर्नल ओर मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटेल		
	वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी/ पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय		
	भाषाओं में से हिंदी में अनुवार		
	खर्च का प्रतिशत		
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%
	वेबसाइट		100% (द्विभाषी)
12	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन		100% (द्विभाषी)
	b (i) मंत्रालयों/ विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों		25% (न्यूनतम)
	(उ.स./निदे. /सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण		
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण		25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के उपक्रमों/ कार्यालयों		
	आदि के संबंधित अधिकारियं	वर्ष में कम से कम	
	निरीक्षण		एक निरीक्षण
14	राजभाषा संबंधी बैठकें		
	(i) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 02 बैठवे
			(न्यूनतम)
	(ii) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 02 बैठवे
			(प्रति छमाही एव
			बैठक)
	(iii) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 04 बैठव
			(प्रति तिमाही एव
			बैठक)
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया स	ाहित्य का हिंदी अनुवाद	100%
			20% (न्यूनतम
16	मंत्रालय/विभाग के ऐसे अनुभाग जहाँ सारा कार्य हिंदी में हो		अनुभाग)

TARGETS FOR 2024 – 2025 FOR THE IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY IN MINISTRIES/ DEPARTMENTS & THEIR ATTACHED/SUB-ORDINATE OFFICES & CORPORATIONS / UNDERTAKINGS / BANKS ETC.OF CENTRAL GOVERNMENT.

Sl.No	Details of Works		Targets	
1.	Originating	From Region 'C' to 'A'	55%	
	Correspondence in Hindi	From Region 'C' to 'B'	55%	
			55%	
	Drawings etc.)	From Region 'C' to 'C'		
	Diawings cic.)	From Region 'C' to State offices/ Individuals in States/UTs of 'A' and 'B' Regions	85%	
2.	Letters received in Hindi to	100%		
3.	Noting in Hindi	30%		
4.	Training programmes through Hindi medium		30%	
	Recruitment of Hindi Typis	40%		
	Dictation in Hindi/Direct Ty	30%		
	Hindi Training (Language, Typing/stenography)		100%	
	V \ V	Preparation of Bilingual Training material		
9.	Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital matters ie Hindi e-books, CD / DVD/Pend drive including amount incurred on translation in Hindi from English and regional languages out of the total Library grant, excluding journals and standard reference books.		500/	
10	Purchase of all electronic ed		100%	
	website	guipinent in outingous rosses	100% (bilingual)	
	Citizen Charter and display	100% (bilingual)		
13	3.(1) Inspection by Ministries/ Departments/Offices of their offices located outside their Headquarters and by the officers DS/Dir./JS of DOL (% of offices)		25% (minimum)	
	(2) Inspection of sections at	25% (minimum)		
	(3) Joint inspections by the officers of the concerned Deptt. & those of the Dept. of Official Language of Foreign based Undertakings/Offices etc. owned or controlled by the Central Government.		At least one	
14	Meetings regarding Official Language			
	(A) Hindi Salahkar Samiti		02 meetings in a year (minimum)	
	(B) Town Official Languag	e Implementation Committee	02 meetings in a year (One meeting every 6 months)	
	(C) Official Language Implementation Committee		04 meetings in a year (One meeting every quarter)	
15	Translation of Codes, Manu	aals, forms, Procedural literature	100%	
16	Sections of the Ministries/	Departments where entire work to be done in	20% (MinimumSections)	